कार्यालय उप निदेशक फायर सर्विस कानपुर परिमण्डल

पत्रांकः 2018/867/केएनसी/कानपुर नगर/30/डीडी   दिनांकः अगस्त 23 2018

सेवा में,

प्रबन्धक,
सी0एच0एस0एजूकेशन सेन्टर
प्लाट नं0 एस–2, फेस–1 स्कीम तत्याटोपे नगर
कानपुर नगर।

विषयः प्लाट सं0 एस–2 फेस–1 तात्याटोपे नगर, कानपुर नगर में संचालित सी0एच0एस0 एजूकेशन सेन्टर, भवन हेतु अग्निशमन प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किऐ जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या शून्य दिनांकः शून्य का अवलोकन करें, जिसके द्वारा मानचित्र प्रस्तुत करते हुए उक्त विद्यालय भवन हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी प्रोविजिनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की अपेक्षा की गई है।

प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य अग्निशमन अधिकारी कानपुर नगर के समांक पत्र दिनांककित 16.6.17 द्वारा दर्शायी गयी कमियों का निराकरण कराकर प्रेषित किये गये संशोधित मानचित्रों एवं अभिलेखों के आधार पर स्थलीय निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी फजलगंज तथा अभिलेखों/मानचित्रों का परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी,कानपुर नगर द्वारा कराया गया। निरीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराई गई आख्या दिनांकित 30.6.18 का सुसंगत मानकों के अनुसार परिशीलन किया गया, आख्या बिन्दुवार निम्नवत् हैः–

भवन की संरचना :–

1– कुल भूखण्ड एरिया 4076.80 वर्गमी0।

1. निर्मित भूतल कवर्ड एरिया 1222.85 वर्गमी0।
2. प्रथम तल से ऊपरी तलों का टिपिकल कवर्ड एरिया–2517.10 वर्गमी0(प्रत्येक का तलवार विवरण)
   क– प्रथम तल कवर्ड एरिया 1222.85 वर्गमी0।
   ख– द्वितीय तल का कवर्ड एरिया 1222.वर्गमी0।
   ग– तृतीय तल का कवर्ड एरिया 1222.85 वर्गमी0।
   घ– टेरेस तल का कवर्ड एरिया–71.40 वर्गमी0।
3. बेसमेन्ट प्रथम का कवर्ड एरिया–शून्य वर्गमी0।
4. बेसमेन्ट द्वितीय का कवर्ड एरिया–शून्य वर्गमी0।
5. बेसमेन्ट तृतीय का कवर्ड एरिया–शून्य वर्गमी0।
6. भवन की ऊचाई लगभग 14.64 मी0।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी–प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की शौक्षणिक भवन की श्रेणी बी–1(ii) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।
(औद्योगिक भवन होने पर उसमें प्रयुक्त मैटेरियल का–निल)

ढॅाचागत व्यवस्था :–

1. पहुँच मार्ग–भूखण्ड के सामने मानचित्रों में 18 मीटर रोड की चौड़ाई है।
2. प्रवेश द्वार की चौड़ाई–4.50 मीटर जो मानक के अनुसार है।
3. सैटबैक–
   अग्रभाग– 26.92 मी0
   पृष्ठभाग– 6.10 मी0
   पार्श्व प्रथम–7.13 मी0
   पार्श्व द्वितीय– 5.31 मी0 (मानचित्र में दर्शाया गया है)
   उपरोक्त भवन के सेटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है। सेटबैक सदैव अवरोधमुक्त रखे जायेंगें। सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।
4. **निकास मार्ग–** प्रस्तावित भवन में 03 स्टेयर जिनकी चौड़ाई क्रमशः 1.83 मी0 का प्राविधान किया गया है, जिनकी फलोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनमन्य सीमा के अन्तर्गत है।
5. रिफ्यूज एरिया का विवरण– एन0बी0बी0 2005 के मानकों के अनुसार उपलब्ध है।

अधिकारी / अभियन्ता से लेना होगा।

7. विस्फोटक / ज्वलनशील पदार्थो का भण्डारण विद्यालय परिसर में कदापि नही किया जायेगा।
8. विद्यालय भवन में जिन कमरों में एक ही दरवाजा है, उन कमरों में 40 से अधिक छात्र / छात्राओं को नही बैठायेगें।
9. विद्यालय में उपलब्ध सबमर्सेबुल पम्प से 63 एमएम साइज का थ्रेडेड फ्लैंज लगाया जायेगा जहॉ फायर सर्विस वाहन आसानी से पहुॅच सकें।
10. उपरोक्त उल्लंघन पर निर्गत अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
11. जिला स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति / अग्निशमन अधिकारी के माध्यम से निः शुल्क प्रशिक्षण व आकस्मिक स्थिति मेंछात्रों को सुरक्षित तरीके से बचाने का ज्ञान भी प्राप्त करना आवश्यक होगा।

अतः अग्निशमन अधिकारी फजलगंज एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी, कानपुर नगर की संस्तुति के आधार पर प्लाट सं0 एस–2 फेस–1 तात्याटोपे नगर, कानपुर नगर में प्रस्तावित सी0एच0एस0 एजूकेशन सेन्टर, भवन हेतु अग्निशमन प्रोविजिनल अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा एन0बी0सी0 2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगें तथा भवन के निर्माणोपरान्त प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण / परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जना आवश्यक होगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजिनल प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नः अनुमोदित मानचित्र।

Rawathi 25/08/18
(पी0पी0 अवस्थी)
उप निदेशक फायर सर्विस
कानपुर परिमण्डल।

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, कानपुर नगर को सन्दर्भित समस्त अभिलेखों के समुचित रख रखाव के निर्देशों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. अग्निशमन अधिकारी फजलगंज,कानपुर नगर को उनकी आख्या के क्रम में सूचनार्थ एवं आ0का0हेतु।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था :– नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएं
पूर्ण की जानी अनिवार्य है:–

1. भूमिगत टैंक– भूमिगत टैंक आवश्यक नही है।
2. पम्प– अण्डरग्राउण्ड टैंक के पास मेन पम्प 2280 एलपीएम क्षमता का विघुत चालित पम्प, डीजल चालित पम्प 2280 एलपीएम क्षमता, जौकी पम्प 180 एलपीएम0 क्षमता आवश्यक नही है।
3. **होजरील–** भवन में होजरील लैण्डिंग वाल्व आई0एस0 3844 मानकों के अनुसार आवश्यक नही है।
4. वेटराइजर– भवन के मानचित्र में वेटराइजर सिस्टम एन0बी0सी0 2005 के मानकों के अनुरूप आवश्यक नही है।
5. प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाईड्रेन्ट्स होज केबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज तथा ब्रान्च पाइप एवं इन्लेट का प्राविधान आई0एस0 13039: 1991 के अनुसार आवश्यक नहीं है।
6. **हस्ताचालित इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम–** मैनुअल आपरेटेड इलैक्ट्रिक फायर एलार्ग सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार आवश्यक नहीं है।
7. **स्वचालित डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम–** भवन में आटोमैटिक डिटेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम का मानकों के अनुसार आवश्यक नहीं है।
8. **स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम–** सम्पूर्ण भवन में आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार आवश्यक नहीं है।
9. **टैरेस टैंक–** प्रश्नगत भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 10000 ली0 का स्थापित कराया जाना आवश्यक है।
10. **टैरेस पम्प–** प्रश्नगत भवन के टेरिस टैंक के पास टेरिस पम्प क्षमता 450 एलपीएम का स्थापित कराया जाना आवश्यक है।
11. प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (एक्सटिंग्यूशर)– भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्टिंग्यूशर आई0एस0–2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है जो मानकों के अनुरूप है।
12. **स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम–** स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम–
    ए– फायर चैक डोर, स्मोक चैक डोर की लोकेशन व रेटिंग का– आवश्यक नही है।
    बी– सिस्टम की मैकअप एयर हेतु वयवस्था– आवश्यक नही है।
    सी– स्मोक रिर्जव वायर एवं अनुमानित स्मोक लेयर आदि को आधारित करते हुए एक्सट्रेक्शन सिस्टम का तकनीकी विश्लेषण– आवश्यकता नही है।
13. **प्रेशराइजेशन प्रणाली–**
    1. स्थानों पर प्रेशराइजेशन की गई है व प्रयुक्त होने वाली फैन्स की डक्टिंग इत्यादि आवश्यक नही है।
    2. प्रेशराइजेशन सिस्टम डिटेक्शन से इण्टलॉकिंग– आवश्यक नही है।
14. एक्जिट साइनेज– सम्पूर्ण भवन में एक्जिट साइनेज स्थापित किया जाना आवश्यक है।
15. पी0ए0 सिस्टम– पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में प्राविधानित करायी जानी आवश्यक है।

उपरोक्तानुसार विषयगत विद्यालय को अग्निशमन व्यवस्था राम्बन्धी शर्तो के अनुपालन हेतु निर्देशित किया जाता है। :–

1. भविष्य में यदि विद्यालय भवन में कोई निर्माण/परिर्वतन प्रस्तावित किया जाता है तो उसकी पूर्व सूचना अग्निशमन विभाग को देना तथा अग्निशमन विभाग से पुनः अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
2. वैकल्पिक विद्युत श्रोत के अन्तर्गत उपलब्ध जनरेटर के पास 01 अदद सीओटू फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 4.5 किग्रा0 क्षमता का उपलब्ध रखना अनिवार्य होगा। विद्युत सुरक्षा व्यवस्था के लिए विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
3. भवन में विद्युत भार के अनुसार एम0सी0बी0/ई0एल0सी0बी0 का प्राविधान करना सुनिश्चत करेगे तथा मीटर रूम/इलैक्ट्रिक रूम में 01 मदद सीओटू फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 4०5 किग्रा0 क्षमता का उपलब्ध रखन सुनिश्चित करेगे।
4. प्राविधानित अग्निशमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील रखना तथा अग्निशमन विभाग से इस प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा कि उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था सन्तोषजनक तथा कार्यशील दशा में है।
5. विद्यालय की ढॉचागत सुरक्षा वयवस्था की वर्तमान दशा पहुॅचमार्ग, सैटबैक, फायर स्केप व अग्निशमन होना आवश्यक है।
6. भवन की मजबूती व गुणवत्ता के सम्बन्ध में एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार होने का प्रमाण पत्र सम्बन्धित